भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

****

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 683

(दिनांक 20.11.2019 को उत्तर के लिए)

जम्मू और कश्मीर में आरक्षण

683. श्री गोपाल शेट्टीः

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या धारा 370 और 35ए हटने से पहले जम्मू और कश्मीर (जे एंड के) में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य जातियों हेतु सरकारी नौकरी में आरक्षण का उपबंध विद्यमान था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त राज्य से धारा 370 और 35ए हटने के बाद आरक्षित श्रेणियों से संबंध रखने वाले समुदायों को आरक्षण सुनिश्चित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आगामी समय में इससे लाभान्वित होने वाली आरक्षित श्रेणी में समुदायों के लोगों की संख्या कितनी है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह

(क) से (ड.) : जी, हां। अनुच्छेद 370 और 35ए हटाए जाने से पहले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों हेतु नौकरियों में आरक्षण प्रदान करने के लिए पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य में 'जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004' लागू था। अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के पश्चात, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के संघ राज्य-क्षेत्रों में 'जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004' कुछ संशोधनों के साथ लागू है जैसा कि 'जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019' में वर्णित है। आरक्षित श्रेणी से संबंधित समुदायों के लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या संबंधित श्रेणियों के लिए आरक्षण प्रतिशत के समानुपातिक होगी।

*****